मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 3–2/2017/2/34 भोपाल दिनांक **11 मई 2017**

//परिपत्र//

प्रदेश में योजनाबद्ध रूप से ग्रामीण क्षेत्र में नलजल योजनाओं के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के उददेश्य से राज्य शासन द्वारा "मुख्यमंत्री ग्राम नलजल योजना" के क्रियान्वयन का निर्णय लिया है। इस हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधन "मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम" के अंतर्गत नलजल योजना घटक तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम से उपलब्ध कराये जायेंगे।

"मुख्यमंत्री ग्राम नलजल योजना" में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों के चयन, योजनाओं की स्वीकृति, एवं क्रियान्वयन के संबंध में निम्न नीति निर्देशक सिद्धांत निर्धारित किये जाते हैं :–

1) प्रथम चरण में बड़े ग्रामों का चिन्हांकन किया जायेगा, तथा इन ग्रामों में उपलब्ध जल स्त्रोतों की क्षमता का आंकलन किया जायेगा। जहाँ पर्याप्त क्षमता का स्त्रोत विद्यमान न हो, वहाँ स्त्रोत निर्माण की संभावना का परीक्षण कर स्त्रोत निर्माण का कार्य किया जायेगा। पर्याप्त क्षमता का स्त्रोत उपलब्ध/विकसित होने के उपरांत ही योजना के अन्य अवयवों का क्रियान्वयन किया जायेगा।

2) योजना के अंतर्गत ग्रामों के चिन्हाकंन हेतु निम्न मापदण्ड होंगे :–

क) जनसंख्या का मापदण्ड :–

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक जनसंख्या के ग्राम।

अथवा

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 500 से अधिक जनसंख्या के अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्राम।

ख) ऐसे ग्राम जिनकी जनसंख्या अधिक है अथवा जो जलगुणवत्ता से प्रभावित हैं, उन्हें चिन्हांकन में प्राथमिकता दी जायेगी।

ग) ऐसे ग्राम जिनकी किसी भी बसाहट में पूर्व में नलजल योजना (स्पॉट सोर्स योजना को छोड़कर) का क्रियान्वयन हुआ हो, उन्हें चिन्हांकित नहीं किया जायेगा।

घ) ऐसे ग्राम जिनकी किसी बसाहट में स्पॉट सोर्स योजना पूर्व में क्रियान्वित की गयी हो, परंतु उसमें जल वितरण प्रणाली का निर्माण नहीं किया गया हो, को चिन्हांकित किया जा सकता है।

क्रमशः– 2

3) ग्राम का चिन्हांकन होने के उपरांत जल स्त्रोतों की क्षमता तथा जल गुणवत्ता का आंकलन कार्यपालन यंत्री तथा भूजलविद द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

क) जहाँ विद्यमान स्त्रोतों की जल आवक क्षमता पर्याप्त एवं जल गुणवत्ता स्वीकार्य योग्य हो, वहाँ ग्राम को पात्रता सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

ख) जहाँ विद्यमान स्त्रोत में जल आवक क्षमता अपर्याप्त हो अथवा जल गुणवत्ता स्वीकार्य योग्य न हो, वहाँ नये स्त्रोत निर्माण करने की संभावना ज्ञात की जायेगी। यदि ऐसे स्त्रोतों की संभावना हो, तो स्त्रोत निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

स्त्रोत निर्माण हेतु तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति विभागीय प्रक्रिया अनुसार सक्षम स्तर से प्राप्त की जायेगी, एवं इस कार्य हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत नलजल योजना घटक से राशि का उपयोग किया जा सकेगा।

नवीन स्त्रोत निर्माण उपरांत इनकी जल आवक क्षमता एवं जल गुणवत्ता का परीक्षण किया जायेगा, तथा योजना के लिये उपयुक्त पाये जाने पर ग्राम को पात्रता सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

4) पात्रता सूची में सम्मिलित ग्रामों में नलजल योजना की डी.पी.आर. तैयार की जायेगी।

5) पात्रता सूची में सम्मिलित ग्रामों में नलजल योजना के क्रियान्वयन के संबंध में ग्राम पंचायत में संकल्प पारित किया जाना अनिवार्य होगा, जिसमें योजना के संचालन व संधारण करने, न्यूनतम 75 प्रतिशत परिवारों द्वारा घरेलू नल कनेक्शन लेने तथा निर्धारित मासिक जलकर की राशि देने की लिखित सहमति दी जानी होगी।

6) डी.पी.आर. परीक्षण उपरांत योजना क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त पाये जाने पर ग्राम का चयन मुख्यमंत्री ग्राम नलजल योजना के अंतर्गत किया जायेगा। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जाकर निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जायेगी।

7) वर्ष 2017–18 के लिये प्रत्येक विकासखण्ड के लिये न्यूनतम 4 योजनायें चयन किये जाने का लक्ष्य है। जिन विकासखण्डों में पात्र ग्रामों की जनसंख्या कम हो, वहाँ 4 से अधिक योजनाओं का चयन किया जा सकता है।

8) मुख्यमंत्री ग्राम नलजल योजना के अंतर्गत जनभागीदारी अंशदान की राशि नहीं ली जाएगी, परंतु लाभान्वित होने वाले उपभोक्ताओं द्वारा निर्धारित जलकर का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। जिन ग्रामों से जनभागीदारी अंशदान की राशि पूर्व में विभाग को प्राप्त हुई है, उपरोक्त मापदण्ड की पूर्ति करने पर चिन्हांकन में प्राथमिकता दी जा सकेगी।

क्रमशः– 3

9) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में तकनीकी मापदण्डों का निर्धारण किये जाने हेतु प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग आवश्यकता अनुसार निर्देश जारी कर सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

11/05/2017
(राजेश शाक्यवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ.क्रमांक एफ 3–2/2017/2/34 भोपाल दिनांक **11 मई 2017**
प्रतिलिपि :–

1– अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2– अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3– प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4– मुख्य महाप्रबन्धक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, भोपाल।
5– संभागायुक्त, संभाग .....(समस्त)।
6– मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.....परिक्षेत्र.....(समस्त)।
7– अधीक्षण यंत्री, लोक स्वा. यां. विभाग, ...मण्डल/परि.मं.....(समस्त)।
8– कलेक्टर, जिला.....(समस्त)।
9– कार्यपालन यंत्री,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड/परियोजना खण्ड.....(समस्त)।

11/05/2017
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग